

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2025—ज्येष्ठ 23, शक 1947

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचत तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 11 जून 2025

क्रमांक — मप्रविनिआ/2025/1084 — विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(ज) तथा धारा 181(2)(घ) सहपठित धारा 36 तथा धारा 61 में प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें)

(पुनरीक्षण-पंचम), विनियम, 2024 {आरजी-28(V), वर्ष 2024} जिन्हें एतद् द्वारा पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करते हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तों)
(पुनरीक्षण-पंचम), विनियम, 2024 में प्रथम संशोधन {एआरजी-28(V)(i), वर्ष 2025}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ (Short Title and Commencement) :

1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तों) (पुनरीक्षण-पंचम), (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 {एआरजी-28(V)(i), वर्ष 2025}" कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. मूल विनियम के विनियम 2 में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 2, यथा "विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा" में, प्रथम परन्तुक के उपरान्त निम्न परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु आगे यह और कि आयोग द्वारा राज्य शासन एवं राज्य पारेषण उपयोगिता (State Transmission Utility) की अनुशंसाओं के अनुसार उच्चतम सीमा (threshold limit) से परे प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया से छूट पर विचार परियोजनाओं की निम्न श्रेणियों के लिए किया जा सकेगा :

(क) नीतिगत महत्व, तकनीकी उन्नयन, आदि की परियोजनाओं की विशिष्ट श्रेणी हेतु ;
और

(ख) किसी अत्यावश्यक परिस्थिति के प्रबन्धन हेतु प्रारंभ की जाने वाली योजनाएं।"

3. मूल विनियमों के विनियम 27 में संशोधन

विनियम 27 के स्थान पर निम्न विनियम 27 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“27 पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार/अन्य व्यय (Lease, Hire Purchase Charges/Other Expenses)

(27.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पट्टे (Lease) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पट्टा प्रभार पट्टा संबंधी अनुबन्ध (Lease Agreement) के अनुसार माने जाएंगे बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तिसंगत (reasonable) माना जाए।

(27.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता अनुज्ञप्तिधारी (Public Private Partnership Licensee)/आप्टिकल ग्राउन्ड वायर प्रभारों (OPGW Charges)/अन्य प्रभारों के भुगतान पर विचार आयोग अथवा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) अथवा अन्य राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs) द्वारा पारित सुसंबद्ध आदेश के अनुसार किया जाएगा। सुसंबद्ध आदेश के अनुसार मानदण्डीय व्ययों को या अंकेक्षित लेखों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये व्ययों को, इनमें से जो भी कम हों, को युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् अनुज्ञेय किया जाएगा।”

4. मूल विनियम के विनियम 33 में संशोधन

विनियम 33.3 के पश्चात् विनियम 33.4 निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“(33.4) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अंकेक्षित लेखों में दर्शाई गई, विद्युत-दर और गैर विद्युत-दर आय के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी अन्य आय को गैर विद्युत-दर आय (Non-Tariff Income) माना जाएगा।”

हस्ता./-

आयोग के आदेशानुसार

(उमाकान्ता पाण्डा)

सचिव.

टीप : मूल विनियम, अर्थात् “मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) (पुनरीक्षण-पंचम) विनियम 2024” को मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 28.06.2024 को प्रकाशित किया गया।